न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, IAS

प्रकरण संख्या 14 / 2020

उनवान

(1) रविशंकर पिता देवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी।
(2) द्वारकी पत्नि स्व0 श्री देवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील, गढ़ी।

—: प्रार्थीगण

बनाम

(1) प्रभुलाल पिता पेमजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी।
(2) भगवान पिता पेमजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी।
(3) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136– भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 16.9.2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 के स्वामीत्व एंव आधिपत्य की भूमि खाता संख्या 1163 (नया) 1019 (पुराना) वाके गांव पालोदा पटवार हल्का पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित होकर कुल किता 32 रकबा 2.88 हे0 भूमि के प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का नाम रविशंकर के स्थान पर रविन्द्र एंव प्रार्थीया संख्या 02 का नाम द्वारकी के स्थान पर हारबी दर्ज हो गया है। जिसे दुरस्त करवाने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में पैश हुआ है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण के कथन को स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटी को सही कराने का कथन किया गया। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी प्रार्थी संख्या 01 का नाम रविन्द्र के स्थान पर रविशंकर एंव प्रार्थी संख्या 02 का नाम हारबी के स्थान पर द्वारकी दर्ज किया जाने की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एंव संलग्न जमाबन्दी संवत 2075 से 2078, द्वारकी देवी के आधार कार्ड की छाया प्रति, रविशंकर के पिता एंव द्वारकी देवी के पति देवशंकर के राशन कार्ड की छाया प्रति, रविशंकर के नाम जारी माध्यमिक परीक्षा–2002 की छाया प्रति एंव रविशंकर के आधार कार्ड की छाया प्रति तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने एंव प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन् करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा है कि पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 1163 (नई) 1019 (पुरानी) के कुल सर्वे नम्बर 32 रकबा 2.88 हे0 भूमि में वर्णित खातेदारान् के नाम में से रविन्द्र पुत्र देवशंकर के स्थान पर रविशंकर पिता देवशंकर तथा [illegible] स्व0 श्री देवशंकर के स्थान पर द्वारकी पत्नि स्व0 श्री देवशंकर बाकि बदस्तूर [illegible] किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी को निर्णय की पालना करने निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.9.2020 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:42:54 IST
Reason: SelfAttested

16/9

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner